

न्यायालय :-अमनदीप सिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप. प्रक. क.-292 / 2016

संस्थित दिनांक 18.04.2016

फा. नं.234503003242016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, बिरसा
 जिला बालाघाट(म.प्र.)

- - - - -अभियोजन

// **विरुद्ध** //

राजू निसाद पिता सकरू निसाद, उम्र-18 वर्ष, जाति केवट,
 निवासी बिठली, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - -आरोपी

// **निर्णय** //**(आज दिनांक 18.12.2017 को घोषित)**

01- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457 एवं 380 के तहत यह आरोप है कि उसने दिनांक 29.02.2016 को रात्रि के 07:00 बजे से 10:00 बजे के बीच स्थान थानान्तर्गत बिरसा, प्रार्थिया अनिता निसाद की किराना दुकान बिठली में सूर्योदय के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्री प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्री गृह भेदन किया तथा प्रार्थिया अनिता निसाद की किराना दुकान में घुसकर अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना उसके आधिपत्य के जलाराम कम्पनी के तीन पैकेट कीमती 180/- रुपये, राजशाही तम्बाकू के तीन पैकेट कीमती 120/- रुपये सोयाबीन तेल कल्याण के 200 ग्राम के 15 पैकेट कीमती 300/- रुपये, पारले बिस्कीट के चार पुड़ा कीमती 480/- रुपये, चाकलेट के दो पैकेट कीमती 150/- रुपये राजश्री के चार पुड़ा कीमती 500/- रुपये, सूरज गुड़ाखू 18 नग कीमती 90/- रुपये एवं 3,000/- रुपये नगदी कुल कीमत करीब 4,820/- रुपये को बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी कारित की।

02- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक 01.03.2016 को आवेदिका कु0 अनिता निसाद ने थाना आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश की, जिसमें उसके घर दुकान ग्राम बिठली से दिनांक

29.02.2016 को रात 07:00 बजे से 09:00 बजे के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुकान का सामने का दरवाजा खोलकर नगदी करीब 3,000/- रुपये एवं किराना का सामान चोरी करने संबंधी आवेदन की जांच उपरांत अपराध धारा 457, 380 भा.द.वि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका-नक्शा एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। संदेह के आधार पर ग्राम बिठली के राजू निसाद को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसने चोरी करना स्वीकार किया। चोरी के माल मशरूका को जप्त कर जप्ती पत्रक में लेख किया गया एवं आरोपी की निशादेही पर चोरी किये गये माल मशरूका की तलाश एवं तस्दीक की गई। विवेचना दौरान आरोपी की जेब से 540/- रुपये नगदी एवं किराना सामान विधिवत जप्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 32/16 दिनांक 24.03.16 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 380 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

01. क्या आरोपी ने दिनांक-29.02.2016 को रात्रि के 07:00 बजे से 10:00 बजे के बीच स्थान थानान्तर्गत बिरसा, प्रार्थिया अनिता निसाद की किराना दुकान बिठली में सूर्योदय के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्री प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्री गृह भेदन किया ?

02. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थिया अनिता निसाद की किराना दुकान में घुसकर अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना उसके आधिपत्य के जलाराम कम्पनी के तीन पैकिट

कीमती 180/- रुपये, राजशाही तम्बाकू के तीन पैकेट कीमती 120/- रुपये सोयाबीन तेल कल्याण के 200 ग्राम के 15 पैकेट कीमती 300/- रुपये, पारले बिस्कीट के चार पुड़ा कीमती 480/- रुपये, चाकलेट के दो पैकेट कीमती 150/- रुपये राजश्री के चार पुड़ा कीमती 500/- रुपये, सूरज गुड़ाखू 18 नग कीमती 90/- रुपये एवं 3000/- रुपये नगदी कुल जुमला करीब 4820/- रुपये को बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी कारित की ?

सकारण व निष्कर्ष:-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 02

साक्ष्य की पुनरावृत्ति तथा सुविधा की दृष्टि से दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी अनिता अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना दिनांक 24.05.2016 की है। वह अपनी बिठली स्थित किराना दुकान को शाम आठ बजे बंद कर अपने घर चली गयी थी। करीब साढ़े आठ बजे उसकी भाभी चंपाबाई ने उसे बताया कि दुकान का दरवाजा खुला हुआ है, तब वह दुकान जाकर देखी तो दुकान का सामान बिखरा हुआ था, दुकान के तेल पाऊच, बिसकिट, तम्बाकू, जलाराम नमकीन, साबुन कम मिले। वहां पर भूरे रंग की टोपी पड़ी हुई थी। उसे मन्नू राउत ने बताया कि टोपी राजू निषाद की है। उसने घटना की लिखित रिपोर्ट अगले दिन पुलिस थाना बिरसा में की थी।

06— साक्षी अनिता अ.सा.01 के अनुसार उसकी दुकान से लगभग पांच-छः हजार रुपये का सामान और लगभग पांच हजार रुपये नगद गायब थे। उसके द्वारा थाना बिरसा में लिखित शिकायत प्रदर्श पी-01 दी गयी थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं जिस पर थाना बिरसा में रिपोर्ट प्रदर्श पी-02 लिखी गयी थी जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटना का मौका नक्शा प्रपी-03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिसवालों ने उसके समक्ष उसकी दुकान से एक टोपी मटमले रंग की तथा लकड़ी का टूटा हुआ कुंदा जप्त कर जप्ती पत्रक

प्रदर्श पी-04 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

07— साक्षी अनिता अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 29.02.2016 की है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को चोरी करते हुए नहीं देखी है, गांव में और भी लोग टोपी पहनते हैं। टोपी का कलर भूरा था, उसने पुलिस को टोपी का कलर भूरा बताया था, अगर पुलिस ने टोपी का कलर न लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकती, भूरे कलर की टोपियाँ और भी पाई जाती हैं, दुकान में काफी लोग सामान लेने आते हैं, कई लोग टोपी पहनकर भी आते हैं, कोई ग्राहक टोपी व अन्य सामान पहनकर आये और वह अपना सामान भूल भी सकता है। साक्षी के अनुसार ऐसा नहीं हुआ। उक्त जप्तशुदा टोपी में लाल रंग से कुछ लिखा था उसे मालूम नहीं है। यह स्वीकार किया है कि प्र.पी.04 जप्ती पत्रक की कार्यवाही थाने में की गयी थी तथा उसने हस्ताक्षर भी थाने में ही किये थे। साक्षी के अनुसार टोपी व कुन्दा दुकान से जप्त कर थाने लाये थे और थाने में उसने हस्ताक्षर किये थे किन्तु अस्वीकार किया कि टोपी उसने पुलिस के आने के बाद देखी थी।

08— साक्षी अनिता अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त जप्तशुदा टोपी कोई रखा हो, रिपोर्ट लिखाने थाने में उसके साथ चार-पांच लोग अन्य और भी थे, उसके साथ अन्य व्यक्ति जो आये थे उनके अनुसार रिपोर्ट लिखी जा रही थी, उसने रिपोर्ट में कुछ नहीं बताया तथा पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और पुलिस के कहे अनुसार उसने एफ.आई.आर. प्रपी-02 में हस्ताक्षर कर दी थी, उसने प्र.पी.02 पढ़कर नहीं देखी थी और ना ही पुलिस ने उसे पढ़कर बताया था, उसके द्वारा लिखित आवेदन पत्र प्रपी.01 मन्नू रावते, गणेश, मनोज पटले, भरत निसाद व अन्य लोगों के बताये अनुसार

उसने पेन से कागज में लिखा था।

09— साक्षी अनिता अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटनास्थल का मौका—नक्शा प्रपी.03 में भी उसने थाने में ही हस्ताक्षर किये थे। उक्त हस्ताक्षर भी उसने पुलिस के कहे अनुसार किये थे, प्रपी.03 हस्ताक्षर करते समय कोरा था, पुलिस ने उसका बयान घटना के दूसरे दिन ली थी तथा प्रपी—02, 03, 04 पर हस्ताक्षर घटना के दिन जब पहली बार गयी थी तब हस्ताक्षर लिये थे, उसने अपना पुलिस कथन प्रपी—01 पढ़कर नहीं देखी थी और ना ही पुलिस ने उसे पढ़कर सुनाया था, गांव में कुछ लोग आपसी रंजिशवश किसी को झूठा भी फसा देते हैं, आरोपी से भी गांव में कुछ लोग रंजिश रखते हैं, आरोपी व उसका परिवार संपन्न है तथा उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी के पास में सुविधा की सभी व्यवस्था हो तो वह व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता।

10— साक्षी मन्नूलाल अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना लगभग तीन माह पुरानी है। उसके पड़ोस में अनीताबाई की किराना दुकान है। शाम करीब सात—आठ बजे हल्ला होने पर जाकर देखा तो पता चला कि अनिताबाई की दुकान में चोरी हुई है, सामान इधर—उधर बिखरा हुआ था। तलाश करने पर कुछ पता नहीं चला। अगले दिन सुबह घटनास्थल में एक हरे रंग पुरानी टोपी पड़ी हुई थी जो राजू निषाद की थी, जिसके बाद गांव में सभी लोगों के सामने मीटिंग हुई थी, मीटिंग में आरोपी ने चोरी करना स्वीकार किया था, जिसके बाद पुलिस ने आकर घटनास्थल से बोरी में सामान भरकर आरोपी को थाने लेकर गयी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

11— साक्षी मन्नूलाल अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी ने उसके समक्ष पुलिस

को बताया था कि अनीता की दुकान से चोरी किया सामान लखन कटरे के खेत में बोरी में भरकर पैरा में छिपाकर रखा है, चलकर बरामद करवा देता है परन्तु मेमोरेण्डम प्रपी-05 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी राजू का तलासी पंचनामा तैयार किया था, परन्तु प्रपी-06 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष प्रपी-04 की जप्ती पत्रक के अनुसार टोपी और लकड़ी का टूटा कुंदा जप्त किया था, परन्तु जप्ती पत्रक प्रपी-04 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

12— साक्षी मन्नूलाल अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी के पेण्ट की दाहिनी जेब से नोट और सिक्के बरामद किये थे, परन्तु जप्ती पत्रक प्रपी-07 की ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष पीले रंग की प्लास्टिक बोरी में जलाराम नमकीन पाले बिसकीट, तम्बाकू, तेल, कापी तथा अन्य सामान जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी-08 बनाया था, परन्तु जप्ती पत्रक प्रपी-08 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-09 बनाया था, परन्तु गिरफ्तारी प्रपी-09 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष टोपी का पहचान पंचनामा तैयार किया था परन्तु पहचान पंचनामा प्रपी-10 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के अनुसार घटनास्थल पर पुलिस आकर बोरी में सामान जप्त कर आरोपी को अपने साथ ले गयी थी। साक्षी ने अस्वीकार किया कि उसका आरोप के साथ समझौता हो गया है इसलिए आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

13— साक्षी मन्नूलाल अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रपी-05 से लगायत प्रपी-10 तक पुलिस के कहने पर

एक ही बार में थाने में हस्ताक्षर किये थे। उक्त दस्तावेज उस समय कोरे थे या लिखे थे वह आज नहीं बता सकता। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उक्त हस्ताक्षर जब उसने किये थे तो इस बात की जानकारी नहीं थी कि किस कार्यवाही के लिये किस कागज पर उसके हस्ताक्षर किये हैं, पुलिस ने उसे उसके बयान प्र.डी-02 पढ़कर नहीं सुनाये थे। साक्षी के अनुसार पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी और उसने पुलिस को घटना के बारे में बताया था।

14— साक्षी मन्नूलाल अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को भी स्वीकार किया है कि गांव में काफी लोग टोपी पहनते हैं, उक्त जप्तशुदा टोपी दुकान के ऊपर नहीं थी। साक्षी के अनुसार घटनास्थल से लगे हुए कटरे के बाड़े में थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अक्सर लोग पुरानी व फटी होने के कारण वस्तुओं को फेंक देते हैं। साक्षी के अनुसार कई लोग पहनते भी हैं। गांव में जब चोरी के संबंध में बैठक रखी गयी थी तो लगभग पचास-साठ व्यक्ति थे जिनमें गांव के बड़े लोग, कोटवार, सरपंच, पटेल व बुजुर्ग व्यक्ति उपस्थित थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि गांव में ओहदे में बड़े व्यक्ति से लोग दब के, झुक के रहते हैं एवं डरते भी हैं। वह यह नहीं बता सकता कि बड़े व्यक्तियों के सामने छोटे व्यक्ति डर के मारे जो काम नहीं किया हो उसे स्वीकार कर लेते हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अगर किसी व्यक्ति ने आरोपी को डरा-धमका कर यह कहा हो कि वह यह बोल देना कि चोरी उसने किया है तो उसे इसकी जानकारी नहीं है। साक्षी के अनुसार मीटिंग में आरोपी ने सभी के सामने यह स्वीकार किया है कि उसने चोरी किया था।

15— साक्षी गणेश अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब 8-9 माह पुरानी रात के समय ग्राम बिठली की है। घटना के समय रात में आवाज होने पर उसने घटनास्थल पर जाकर देखा तो पता चला कि अनिता निशाद की दुकान में

चोरी हुई थी और दुकान का सामान बिखरा पड़ा था। तलाश करने पर कुछ सामान मिला था और अगले दिन फिर सुबह तलाश करने पर दुकान की छप्पर से आरोपी की एक टोपी मिली थी। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई तब पुलिस आरोपी को सामान सहित लेकर थाने आ गई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे।

16— साक्षी गणेश अ.सा.04 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी ने उसके समक्ष पुलिस को बताया था कि अनिता की दुकान का सामान लखन कटरे के खेत में बोरी में भरकर पैरा में छिपाकर रखा है, चलकर बरामद करा देता है, परन्तु मेमोरेन्डम प्र.पी.05 के डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी द्वारा बताये गये स्थान अमरई चौक के आस-पास तलाशी कर तलाशी पंचनामा तैयार किया था, परन्तु पंचनामा प्र.पी.06 के डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष प्रार्थिया अनिता की दुकान से एक मटमले रंग की प्युमा कंपनी की टोपी तथा लकड़ी का टूटा कुंदा जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया था, परन्तु जप्ती पत्रक प्र.पी.04 के डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी के पेंट के पीछे की दाहिने जेब से नोट और सिक्के बरामद कर जप्ती पत्रक तैयार किया था, परन्तु जप्ती पत्रक प्र.पी.07 के डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

17— साक्षी गणेश अ.सा.04 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष लखन कटरे के खुले खेत में पैरा से पीले रंग की प्लास्टिक बोरी में जलाराम नमकीन, पारले बिसकिट, तंबाकू, तेल, काफी तथा अन्य सामान जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया था, परन्तु जप्ती पत्रक प्र.पी.08 के डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था, परन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.09 के डी से डी

भाग पर उसके हस्ताक्षर है। यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष अनिता की दुकान से बरामद टोपी की आरोपी से पहचान कराई थी, परन्तु पहचान पंचनामा प्र.पी.10 के डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

18— साक्षी गणेश अ.सा.04 अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्र.पी.05 से लगायत प्र.पी.10 तक के दस्तावेज पर पुलिस के कहने पर एक ही बार में थाने में हस्ताक्षर किये थे, उक्त दस्तावेज उस समय कोरे थे या लिखे हुये थे वह आज नहीं बता सकता, उसने जब उक्त सभी दस्तावेजों में हस्ताक्षर किया था तब उसे जानकारी नहीं थी कि वह किस कार्यवाही के लिये उक्त सभी हस्ताक्षर कर रहा है, पुलिस ने उसके बयान पढ़कर नहीं सुनाये थे और ना ही उसने पढ़ा था, गांव में काफी लोग टोपी पहनते हैं, उक्त जप्तशुदा टोपी दुकान के ऊपर नहीं थी। साक्षी के अनुसार लखन कटरे की छानी में रखी हुई थी। साक्षी ने इन सुझावों को भी स्वीकार किया है कि प्रायः सभी लोग पुरानी व फटी होने के कारण वस्तुओं को फेंक देते हैं, जब गांव में चोरी के संबंध में बैठक रखी गई थी तो उक्त बैठक में लगभग 50-60 लोग थे। उक्त बैठक में गांव के कोटवार, सरपंच, पटेल व अन्य बुजुर्ग व्यक्ति उपस्थित थे, गांव में जो लोग ओहदे में बड़े रहते हैं, उनसे सभी लोग डर कर व दब कर रहते हैं।

19— साक्षी मुकेश अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह दिनांक 02.03.2016 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी अनिता की निशादेही पर मौके पर जाकर मौका नक्शा प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी अनिता, गवाह मन्नुलाल, गणेश के बयान उनके बताये अनुसार लेख किया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी राजू निशाद का मेमोरेन्डम कथन गवाह मन्नु राउत व गणेश के समक्ष उसके बताये अनुसार लेख किया था, जिसमें उसने चोरी करना स्वीकार किया था, चोरी किये गये सामान को लखन कटरे के खेत में पैरा के ढिग में छुपाकर रखना बताया है एवं चोरी किये गये

पैसों को अपने जेब में रखना बताया, जो प्र.पी.05 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी द्वारा चुराये गये सामान के संबंध में गवाहों के समक्ष तलाशी पंचनामा प्र.पी.06 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा सी से सी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है।

20— साक्षी मुकेश अ.सा.03 के अनुसार उक्त दिनांक को ही गवाह मन्नुलाल एवं गणेश के समक्ष एक टोपी मटमले रंग की पुरानी, टोपी पर सामने की ओर अंग्रेजी में प्युमा लिखा हुआ है एवं दरवाजे को बंद करने वाला कुंदा दो टुकड़ों में जप्त किया था, जो प्र.पी.04 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी से उक्त गवाहों के समक्ष राजू के पहने हुये पेंट से 100 रुपये के दो नोट तथा 10-10 के 33 नोट तथा एक 10/- रुपये का सिक्का आरोपी के पेश करने पर जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 07 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी से पीले रंग की प्लास्टिक की बोरी में जलाराम नमकीन की तीन पैकेट कुल कीमत 180 रुपये थी। पारले बिसकुट का एक पैकेट जिसकी कीमत 250 रुपये थी। राजसाही तंबाकु का एक पैकेट 80 रुपये, कल्याण के तीन पैकेट जो कि दो सौ एम.एल. कीमती करीबन 100/-रुपये तथा रिच कॉफी चॉकलेट का एक पैकेट कीमती 75/- रुपये जप्त किया था जो प्र.पी.08 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है।

21— साक्षी मुकेश अ.सा.03 के अनुसार उक्त दिनांक को ही आरोपी को उक्त गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.09 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। उसी दिनांक को आरोपी राजू का पहचान पंचनामा, जिसमें स्वयं की टोपी गिरी हुई पाई गई, जिसका पहचान पंचनामा तैयार किया गया, जिसमें आरोपी ने टोपी को पहचाना था, जो कि प्र.पी.10 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके

हस्ताक्षर है। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवारवालों को दी गई थी जो प्र.पी.11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रार्थी एवं गवाह मन्नु एवं गणेश को बयान हेतु नोटिस दिया गया था, जो प्र.पी.12 एवं 13 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

22— साक्षी मुकेश अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि प्र.पी.03 की कार्यवाही थाने में बैठकर तैयार किया था। साक्षी के अनुसार प्रार्थी की निशादेही पर घटनास्थल पर तैयार किया था। यदि साक्षी ने न्यायालयीन कथन में कहा हो कि उक्त दस्तावेज पर उसने थाने में पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्र.पी.05 मेमोरेन्डम की कार्यवाही उसके द्वारा झूठी की गई थी, उक्त कार्यवाही के समय साक्षी मन्नु राउत व गणेश उपस्थित नहीं थे। यदि साक्षी मन्नु राउत ने अपने न्यायालयीन कथन में यह कहा हो कि उसने किस कार्यवाही के लिये हस्ताक्षर किये थे वह इसका कारण नहीं बता सकता।

23— साक्षी मुकेश अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को भी अस्वीकार किया है कि प्र.पी.06 तलाशी पंचनामा की कार्यवाही उसके द्वारा झूठी की गई थी, संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी.04, 07 व 08 की कार्यवाही उसके द्वारा झूठी की गई थी, प्र.पी.09 गिरफ्तारी पत्रक की कार्यवाही भी उसके द्वारा झूठी की गई थी, प्र.पी.10 की पहचान पंचनामा की कार्यवाही उसके द्वारा झूठी की गई थी, उसने प्र.पी.11 गिरफ्तारी सूचना पत्रक के माध्यम से आरोपी के परिवार को सूचित नहीं किया था और उक्त कार्यवाही झूठी की थी, किन्तु यह स्वीकार किया है कि जप्त की गई सामग्री बिस्कुट, राजसाही तंबाकू एवं अन्य वस्तुएं आसानी से कहीं भी मिल जाती है। वह यह नहीं बता सकता कि आरोपी की जप्त टोपी जो कि प्युमा कंपनी की थी, वह अधिकतर लोग पहनते हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्युमा कंपनी की टोपी कंपनी

बहुत बनाती है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध झूठी विवेचना किया था।

24— प्रकरण में मेमोरेन्डम तथा जप्ती के स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही है तथा उक्त संबंध में मात्र विवेचक साक्षी की साक्ष्य उपलब्ध है। परिवादी द्वारा दुकान में पड़ी टोपी अभियुक्त की होने के शक के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा शेष साक्षीगण ने भी तत्संबंध में कथन किये हैं। प्रकरण में चोरी की गई वस्तु लखन कटरे के खुले खेत के पैरा ढग से दर्शित की गई है। प्रकरण में कहीं भी यह दर्शित नहीं है कि उक्त स्थान ऐसा था, जिसका मात्र अभियुक्त को ज्ञान था। इसके साथ ही जप्तशुदा वस्तुएं विशिष्ट न होकर दैनिक उपयोग की वस्तु है। चोरी के समय अभियुक्त की घटनास्थल पर मौजूदगी के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है और ना ही सामग्री जप्ती स्थल के आस-पास अभियुक्त की मौजूदगी के संबंध में कोई साक्ष्य है। ऐसी स्थिति में यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रार्थिया अनिता निसाद की किराना दुकान बिठली में सूर्योदय के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्री प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्री गृह भेदन कर प्रार्थिया अनिता निसाद की किराना दुकान में घुसकर अधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना उसके आधिपत्य के जलाराम कम्पनी के तीन पैकेट कीमती 180/— रुपये, राजशाही तम्बाकू के तीन पैकेट कीमती 120/— रुपये सोयाबीन तेल कल्याण के 200 ग्राम के 15 पैकेट कीमती 300/— रुपये, पारले बिस्कीट के चार पुड़ा कीमती 480/— रुपये, चाकलेट के दो पैकेट कीमती 150/— रुपये राजश्री के चार पुड़ा कीमती 500/— रुपये, सूरज गुड़ाखू 18 नग कीमती 90/— रुपये एवं 3,000/— रुपये नगदी कुल कीमत करीब 4,820/— रुपये को बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी कारित की। अतः अभियुक्त राजू निसाद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 380 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

25— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक टोपी मटमेले रंग, दरवाजा को

बंद करने वाला लकड़ी का टूटा कुन्दा 02 टुकड़े तथा 100-100 के दो नोट, 10-10 के 33 नोट, एक दस रुपये का सिक्का तथा एक पीले रंग की प्लास्टिक की बोरी में जलाराम कम्पनी के तीन पैकेट, पारले बिस्किट का एक पैकेट बड़ो, राजशाही तम्बाकू एक पैकेट, सोयाबीन तेल कल्याण के 200 एम.एल. के तीन नग, रिच काफी चाकलेट का एक पैकेट के संबंध में थाना प्रभारी बिरसा विधिवत कार्यवाही करे। उक्त संबंध में थाना प्रभारी बिरसा को पृथक से ज्ञापन जारी किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

26— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

27— अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान दिनांक 02.03.2016 से दिनांक 29.03.2016 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है, इस संबंध में धारा-428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे बोलने पर टंकित किया।
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / —
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही / —
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु
भय / विधिक उपयोग